न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 36 / 2024 अपील (GCMS 2024/44)
पंजीयन दिनांक– 01.08.2024
निर्णय दिनांक– 27.01.2025

1. श्री महावीर पिता स्व. मांगीलाल सुराणा, निवासी 219 भूपालपुरा, उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. एच. जी. ईकाया रिसोर्ट प्रा. लि. 14, पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर हाल राजस्व ग्राम राया, पटवार हल्का कैलाशपुरी, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश कुमार माली – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दुर्गासिंह शक्तावत – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश संख्या Certificate Ref. No: LC/2022-23/ 157510 दिनांक 06.12.2023

निर्णय

दिनांक 27.01.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश Certificate Ref. No: LC/2022-23/157510 दिनांक 06.12.2023

के विरूद्ध दिनांक 18.07.2024 को प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी, प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश संख्या Certificate Ref. No: LC/2022-23/157510 दिनांक 06.12.2023 से राजस्व ग्राम राया, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर में स्थित खसरा नम्बर 31, 439/32, 436/196, 438/197 की कृषि भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में पर्यटन ईकाई हेतु संपरिवर्तन नियम 9 (3) (4) (6) के तहत संपरिवर्तन आदेश जारी किये जाने से अप्रसन्न एवं व्यथित पक्षकार होने से अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार माली उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 के समक्ष पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 08.02.2023 की शर्त संख्या 11 के अनुसार उक्त आवेदन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के एक माह में प्रस्तुत करना था। रेस्पोडेंट द्वारा एक माह में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 22.02.2023 को विड्रो करते हुए दिनांक 27.03.2023 को नया प्रार्थना पत्र पेश किया है। रेस्पोडेंट

संख्या 1 द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमे समय–समय पर संशोधन किये गये है, उन समस्त संशोधनों में आराजी नम्बर व क्षेत्रफल अलग–अलग वर्णित किये गये है। संपरिवर्तन आदेश जारी करने से पूर्व जो पत्रावली रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा संधारित की गई, उक्त पत्रावली में विभिन्न अधिकारियों की टिप्पणीयां आवश्यक थी, उन टिप्पणीयों को भी रिकार्ड पर नही लिया गया। ग्रामीण रास्ते से प्रस्तावित भूमि तक पहुंच मार्ग किस आराजी में से है, पंहुच मार्ग कितनी चौडाई का है, स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त संपरिवर्तन आदेश से पूर्व जल संसाधन विभाग सिलिंग एक्ट एवं वन विभाग की कोई एनओसी रिकार्ड पर नही ली गई है। संपरिवर्तन भूमि के संबंध में दिनांक 29.03.2023 को जो नजरी नक्शा पेश किया है, उस नजरी नक्शे में ग्राम पंचायत मटाटा से भोमलियों का गुडा की सडक दर्शाई गई है वह सडक मुख्य सडक से कहां जुड रही है, इसके संबंध में कोई चित्रांकन नही किया गया है। चैक लिस्ट के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 2 को यह भी देखना था कि संपरिवर्तन भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई वाद न्यायालय में विचारधीन है या नहीं, इसके संबंध में कोई जांच नहीं की गई। संपरिवर्तन कार्यवाही के दौरान ही अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई, परंतु अपीलांट को सुने बिना आनन–फानन में उक्त आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट की लोकस स्टेन्डाई के संबंध में कथन किये गये है, चूंकि संपरिवर्तन आदेश एक प्रशासकीय आदेश है, उस पर आक्षेप उठाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, इसके बावजूद अपीलांट का संपरिवर्तित भूमि की आराजीयात में अपना स्वामित्व, आधिपत्य व हक निहित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि मे प्रकरण में अपीलांट के द्वारा स्वीकृत रूप से केवल मात्र तथाकथित रूप से वादग्रस्त संपरिवर्तित भूमि को उसके पूर्वाधिकारियों द्वारा जिस कथित दानपत्र का हवाला देकर सिपूर्द होना बता रहा है, उसके तहत् वास्तव में मौके पर कभी दानदाता एवं दान ग्रहिता के द्वारा सम्पत्ति का वास्तविक आदान प्रदान ही नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा खारिज नामांतरण संख्या 1 निर्णय दिनांक 09.11.1971 के विरूद्ध कोई चाराजोही नहीं की गई है, अपीलांट न तो उक्त संपरिवर्तित भूमि का खातेदार है न ही पक्षकार है, जिससे अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। विधि का यह सुस्पष्ट प्रावधान है कि प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आदेश से व्यथित व्यक्ति ही अपील कर सकता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट किस प्रकार से व्यथित है यह अपीलांट के द्वारा उसके अपील मेमो में कहीं भी अंकित नहीं किया गया हैं। कोई भी व्यक्ति संपरिवर्तन हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र में सहवन से त्रुटि होने पर विड्रो कर नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन विधि अनुरूप था, जिसे रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा सम्पूर्ण जांच व कार्यवाही कर नियमानुसार दिनांक 06.12.2023 को संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा दिनांक 22.02. 2023 को प्रस्तुत आवेदन में लिपिकीय त्रुटि होने एवं उक्त लिपिकीय त्रुटियों का संशोधन ऑनलाईन आवेदनों में नहीं किया जा सकता था इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा दिनांक 27.03.2023 को पुनः ऑनलाईन आवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट संख्या 02 एवं संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्यवाहियां ऑनलाईन व ऑफलाईन पत्रावलियों के माध्यम से की गई जो वेबपोर्टल व संपरिवर्तित पत्रावली पर संबंधित दस्तावेजों की संधारित दिनांक के अनुसार मौजूद है। अपीलांट जिस तथाकथित अपील के आधार पर

हस्तगत संपरिवर्तित भूमि में अपना हक बता रहा है, उसे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 20.05.2024 से निरस्त किया जा चुका है, ऐसे में अपीलांट का उक्त संपरिवर्तित भूमि में न तो कभी कोई अधिकार रहा है, न ही उक्त संपरिवर्तित भूमि कभी अपीलांट के खातेदारी में रही है। उक्त संपरिवर्तित भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 के स्वामित्व आधिपत्य की होकर उपयोग–उपभोग करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 01 पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ऐसी सूरत में सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में न होकर रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में है जिससे अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RLW 2010 (2) Page 849, RLW 2011 RJ Page 810, 2011 (4) RLW Page 3158, 2012 0 Supreme (Raj) Page 796, (2012) 2 RLW (RJ) Page 1402, (2012) 2 RLW (RJ) Page 1281, (2012) 2 RLW (RJ) Page 961, 2013 0 Supreme (Raj) Page 46, (2013) 1 RLW (RJ) Page 341, (2014) 1 DNJ Page 307, 2017 0 Supreme (Raj) Page 2748, 2011 0 Supreme (Raj) Page 1069, 2011 0 Supreme (Raj) Page 696, 2009 0 Supreme (Raj) Page 1376 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 06.12.2023 से पारित आदेश नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.12.2023 की अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 18.07.2024 को पेश की गयी है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना प्रमाणित

नहीं है, अतएवं अपीलांट की अपील को न्यायहित में कण्डोन किया जाता है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विधि के सुस्पष्ट प्रावधानों के दृष्टीगत हम यहां सवप्रर्थम प्रार्थना पत्र दफा 96 जाप्ता दीवानी पर विनिश्चिय किया जाना उचित समझते है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 06.12.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं था। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील पेश की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है, तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। जो व्यक्ति किसी आदेश या निर्णय में पक्षकार नहीं है, वह अपील में बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये पक्षकार नहीं बन सकते है।

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD 44 में निम्न सारांश प्रतिपादित किया हैः—

"SECTION 96 The fact that a party is an aggrieved person does not by itself entitle him to file an appeal if he was not a party to the dispute in the lower court He must obtain the permission of the court for filing the appeal before actually doing so An appeal filed without obtaining permission from the court of appeal is incompetent and cannot be maintained"

इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD 232 (DB) में निम्न सारांश प्रतिपादित किया हैः–

"CODE OF CIVIL PROCEDURE & SECTION 96-A PERSON WHO IS NOT A PARTY TO AN ORDER OR DECREE CANNOT PREFER AN APPEAL AGAINST SUCH ORDER OR DECREE WITHOUT THE LEAVE OF THE COURTAN APPEAL FILED WITHOUT LEAVE OF THE IS INCOMPETENT"

उपरोक्त विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टांतो के आलोक में क्या अपीलांट इस अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति है अथवा नहीं, इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया और परिक्षणोपरांत जाहिर होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त वर्णित आराजीयात के संपरिवर्तन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऑनलाईन आवेदन जरिये आईडी क्रमांक LC/2022-23/157510 के प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर दिनांक 06.12.2023 को आवेदक के पक्ष में संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया, जिसमे अपीलांट पक्षकार नहीं था। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में तृतीय पक्ष को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। तृतीय पक्ष व्यथित नहीं हो सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट व्यथित/हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पक्ष/विरूद्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि संपरिवर्तित विवादित भूमि का वह खातेदार काश्तकार रहा हो। इस प्रकार संपरिवर्तन नियम 9 (3) (4) (6) के अन्तर्गत कार्यवाहियों को चुनौती देना न्यायसंगत नहीं है। यहां हम रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में भी परिक्षण किया जाना उचित समझते है।

रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार हैः–

माननीय उच्च न्यायालय मे आर. एल. डब्लयु. 2011(2) आरजे 810 (एचसी) में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है किः—

Rajasthan Land Revenue Act, 1956, Secs.90-B- 'Aggrieved person' within the meaning of sec.90B(7) and locus standi of respondent "Vikas Samiti" to file appeal against an order converting the use of agriculture land into commercial use - Held – Appeal u/s. 90-B can be filed by aggrieved person, the land owner himself – The appeal filed by stranger, the Vikas Samiti was incompetent and not maintainable – The order passed by Divisional Commissioner was wholly without jurisdiction – Quashed and set-side.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 7728—2012 दिनांक 08.11.2022 में माना है किः—

Administratio of Justice – Locus standi – Aggrieved party – Only a person who has suffered, or suffers from legal injury can challenge the act/ation/order etc. in a court of law – A stranger cannot be permitted to meddle in any proceedings.

माननीय राजस्व मण्डल ने (2012) 2 RLW (RJ) 961 में माना है किः—

Rajasthan land Revenue Act, 1956- Sec 90-B- Maintainbility of appeal before the Divionsal Commissioner Application for conversion of land for residential purpose Land converted and recorded in the name of Municipal Council & Appeal against the orer allowed by Divisional Commissioner Revision held Divisional Commissioner is not empowered appeal against the order passed u/s- 90B(3)- Third party cannot be aggrieved person Neighbouring khatedars have no right to file objections or appeal– order set side.

वर्णित न्यायिक दृष्टांतों अनुसार भू—स्वामी ही अपील प्रस्तुत कर सकता है, उक्त न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण से सुसगत होकर चस्पा होते है, क्योंकि अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है और न ही व्यथित व्यक्ति है, ऐसे में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में भी अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है।

प्रकरण में अब हम न्यायहित में अपील में अपीलांट द्वारा वर्णित उजरात के विवेचन व बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बरूए गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं।

अपीलांट का मूल कथन/उज्र उसके पक्ष में निष्पादित दान पत्र रहा हैं।

दानपत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वाधिकारियों के पक्ष में निर्णित नामान्तरण संख्या 25 को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़गांव, जिला उदयपुर में अपील प्रकरण संख्या 04/2023 प्रस्तुत कर चुनौति दी गई थी। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2024 को निर्णित किये जाने पर अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रकरण संख्या 29/2024 प्रस्तुत की गई, जिस पर इस न्यायालय ने दिनांक 16.12.2024 को विस्तृत निर्णय पारित करते हुए दानपत्र को सीलींग विधि से बाधित मानकर विधिशुन्य होने एवं मौके पर रेस्पोडेंट संख्या 01 का कब्जा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर होने से द्वितीय अपील खारीज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा जिस दानपत्र का उल्लेख किया जा रहा है, वह किसी प्रकार से वैध नहीं है। अपीलांट को हस्तगत अपील के संबंध में किसी प्रकार का कोई लोकस उत्पन्न नहीं होता है, तथा अपीलांट प्रभावित पक्षकार भी नही है। हस्तगत अपील जिस संपरिवर्तन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, उस संबंध में अपीलांट द्वारा पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका एस. बी. सिविल रिट क्रमांक 4184/2024 प्रस्तुत थी। जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.03.2024 से उक्त याचिका को निस्तारित करते हुए उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव, जिला उदयपुर के समक्ष लम्बित नामांतरण अपील को आठ हफ्तों में निस्तारित करने के निर्देशों दिये गये थे। चूंकि उक्त प्रथम नामांतरण अपील खारीज हो चुकि है, एवं इस न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील को भी खारीज किया जा चुका है,

ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील भी किसी प्रकार से पोषणीय नहीं है। अतएव उक्त कथन/उज्र माने जाने योग्य नही है।

अपीलांट का अन्य कथन यह है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 08.02.2023 की शर्त संख्या 11 के अनुसार 1 माह में आवेदन करना था, परंतु दिनांक 22.02.2023 को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवेदन विड्रो कर लिया एवं नया आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त दोनो आवेदन में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजस्व ग्राम राया, पटवार हल्का कैलाशपुरी के आराजी संख्या व कुल रकबों में परिवर्तन किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा यद्यपि पर्यटन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 08.02.2023 को दो बार आवेदन कर दिया था लेकिन उनमें क्षेत्रफल गलत दर्ज कर देने से विड्रो कर आवेदक द्वारा दिनांक 27.03.2023 को पुनः नवीन आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त नवीन आवेदन में भी वही खसरा नम्बर आवेदित किए गए है, जो प्रथम दो आवेदन पत्रों में थे, परंतु तत्समय ऑनलाईन पोर्टल की तकनीकी बाध्यता की वहज से प्रथम दो त्रुटिपूर्ण आवेदनों को विड्रो कर पुनः नया आवेदन प्रस्तुत किया गया। यदि यही प्रक्रिया ऑफलाईन होती तो आवेदक संशोधित ऑफलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता था। ऐसे में चूंकि पर्यटन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 08.02.2023 की शर्त संख्या 11 की अनुपालना में आवेदन द्वारा एक माह के भीतर प्राधिकृत अधिकारी जिला कलक्टर को दिनांक 22.02.2023 को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। आवेदन करने की अनुपालना एक बार ही करनी होती है, यदि किसी भी कारणवश आवेदन पत्र में कोई संशोधन होता है अथवा तकनीकी कारणों से पुराने आवेदन को विड्रो करके नया आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए पर्यटन विभाग से दोबारा नया अप्रुवल लेटर लेने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। तत्समय प्रक्रियाधीन आवेदन में आवेदित खसरा नम्बर वही

था, जो पूर्व में दिनांक 22.02.2023 को प्रस्तुत 2 आवेदनों में वर्णित थे, खातेदार भी समान ही थे, ऐसे में तत्समय लंबित आवेदन दिनांक 22.02.2023 को प्रस्तुत प्रथम आवेदन की निरंतरता में ही माना जाएगा। अतएव उक्त उज्र समायत योग्य नहीं है।

अपीलांट का अन्य कथन यह है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पर्यटन विभाग से जारी अप्रुवल ऑफ ट्यूरिज्म युनिट प्रोजेक्ट क्रमांक 2023–24/101452 दिनांक 08.02.2023 से 9533 वर्गमीटर का एवं क्रमांक 2023–24/101734 दिनांक 03.07.2023 से 200263 वर्गमीटर का प्रस्तुत किया है। उक्त दोनो ही क्षेत्रफल में भारी अंतर है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को ट्यूरिज्म डिपार्टमेन्ट के द्वारा केवलमात्र ट्यूरिज्म सर्टिफिकेट क्रमांक 2023–24/101452 दिनांक 08.02.2023 ही प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रस्तावित क्षेत्रफल 200263 वर्गमीटर स्पष्ट रूप से दर्शित किया हुआ है, जिसके आधार पर ही आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.02.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, परंतु सहवन से लिपिकीय त्रुटि होने एवं आवेदन चुंकि ऑनलाईन होने के कारण उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था, इसलिए उक्त आवेदनों को विड्रो कर दिनांक 27.03.2023 को पूर्व में प्रस्तुत आवेदनों के निरंतरता में प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद जांच एवं सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दिनांक 06.12.2023 को संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है। अतएवं उक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

अपीलांट का अन्य कथन यह है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 22.02.2023 को ऑन लाईन आवेदन किये जाने के पश्चात् रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा पत्रावली का संधारण किया गया। उक्त संधारण करते समय की गई कार्यालय टिप्पणी के संबंध में दिनांक अंकित नही की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदन दिनांक 22.02.2023 में लिपिकीय त्रुटि होने एवं उक्त लिपिकीय त्रुटियों का संशोधन ऑनलाईन आवेदनों में नहीं किया जा सकता था, इसलिए आवेदक द्वारा दिनांक 27.03.2023 को पुनः ऑनलाईन आवेदन किया गया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2023 को उक्त संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया, इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय एवं संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्यवाहियां ऑनलाईन व ऑफलाईन पत्रावलियों के माध्यम से की गई जो वेबपोर्टल व अधीनस्थ न्यायालय की संपरिवर्तित पत्रावली पर संबंधित दस्तावेजों की संधारित दिनांकों के अनुसार कार्यालय टिप्पणी के मौजूद है। अतएव उक्त उज्र भी माने जाने योग्य नहीं है।

अपीलांट का अन्य कथन यह है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आराजी संख्या 31 व अन्य आराजीयात के संबंध में संपरिवर्तित कराने के आवेदन की जानकारी जैसे ही हुई अपीलांट द्वारा दिनांक 01.12.2023 को किये गये आवेदन पर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज पेश की गये। उक्त आवेदन को रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा कभी भी रिकार्ड पर नही लिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज/तथ्य रेकार्ड पर उपलब्ध नही है, जिससे यह प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा आराजी संख्या 31 व अन्य आराजीयात के संबंध में दिनांक 01.12.2023 को कोई आपत्ति/दस्तावेज प्रस्तुत किये हो, अतएव उक्त उज्र भी माने जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अपीलांट व्यथीत/हितबद्ध पक्षकार नहीं है। साथ ही उक्त अपील विधिक रूप से पोषणीय नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं

पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलांट व्यथित/हितबद्ध पक्षकार नहीं होने तथा अपील अपीलांट गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 06.12.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी, RAS)
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर